2024/211

फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालतः अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर
राजाराम बनाम ग्राम पंचायत 9 एम.एल. व रोणकी राम
निगरानी प्रकरण सं0 32/2024

अधिवक्ता अपीलार्थी :— सतनाम सिंह   अधिवक्ता रेस्पोडेन्टः— संजय जनवेजा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
11.12.2024	अधिवक्ता अपीलार्थी एवं अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1. उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त विवादित जगह चक 11 एम.एल. बाजीगरो की ढाणी में निगरानीकर्ता का मकान बना हुआ है, जहां प्रार्थी पिछले 60 वर्षो से निवास कर रहा है। मेरे मकान के साथ गैरनिगरानीकर्ता संख्या 02 के नाम कृषि भूमि दर्ज रिकॉर्ड है, जिसमें कृषि भूमि सिंचाई हेतु ट्यूबवेल लगा हुआ है। प्रार्थी/निगरानीकर्ता के मकान साईज 110X83 फुट दक्षिण दिशा की ओर खुलता हुआ जो कि मुरब्बा नम्बर 64 के किला नम्बर 18,19 में स्थित है, जिसका पट्टा जारी करने हेतु प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत 9 एमएल लठ्ठावाली में किया हुआ है परन्तु अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 से मिलीभगत कर उक्त भूखण्ड का पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी कर दिया गया है। अप्रार्थी संख्या 02 उक्त मकान को आगे बेचान करने की फिराक में है अगर उक्त मकान को आगे बेचान कर देगा तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। अतः प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन निगरानीकर्ता के पक्ष में है। फलस्वरूप स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से जारी पट्टा साईज 110X83 फुट को रहन बैय नहीं करें एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश फरमाया जावें। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि निगरानीकर्ता जिस आदेश के विरूद्व निगरानी लेकर आया है उस आदेश की प्रमाणित प्रति/फोटो प्रति पेश ही नहीं की गई। केवलमात्र यह कहना कि दिनांक 20.11.2024 को पट्टा जारी किया गया जिस पर मेरा कब्जा है, विधिविरूद्व है। मुझ अप्रार्थी/ निगरानीकर्ता द्वारा जरिये बैयनामा आवासीय भूखण्ड भूमि वाके चक 11 एम.एल. (बाजीगरों की ढाणी) के अहाता संख्या–11 कुल साईज पैमायशी 5440 वर्गफुट दक्षिण दिशा में खुलता हुआ जिसमें मौके पर एक पुराना कमरा बना हुआ है, गुरप्रीत सिंह पुत्र जसवंत सिंह, गगनदीप सिंह पुत्र सुखविन्द्र सिंह, श्रीमती हरलीन कौर पत्नी पवित सिह व अमनिन्द्र सिंह पुत्र गुरदर्शन सिंह से कय किया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा बिना दस्तावेजात व बिना निगरानीधीन आदेश की प्रति के उक्त निगरानी में स्थगन चाहा गया जो खारिज फरमाया जावें। अधिवक्ता उभयपक्ष की स्थगन प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया तो पाया कि निगरानीकर्ता द्वारा गैरनिगरानकर्ता संख्या 2 के नाम से जारी पट्टा साईज 110X83 फुट दक्षिण दिशा में खुलता हुआ, जो दिनांक 20.11.2024 को जारी किया गया के विरूद्व स्थगन चाहा गया जबकि निगरानीकर्ता द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया गया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि गैरनिगरानकर्ता संख्या 2 के नाम से पट्टा साईज 110X83 फुट दक्षिण दिशा में खुलता हुआ, जो दिनांक 20.11.2024 को जारी किया गया हो। फलस्वरूप निगरानीकर्ता का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते तलबी एवं रिकॉड तलबी हेतु दिनांक 15.01.2025 को पेश हो। अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0) श्रीगंगानगर	191-92 16/12/24

12/11/25 पीठासीन अधिकारी ~~अवकाश प्रथम पर~~ चुनाव कार्य मे व्यस्त है। पक्ष कारान के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनाक 07/1/26 को पेश हो।

07/1/26 बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे है। पीठासीन अधिकारी प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनाक 10:2:26 को पेश हो।

10/2/26 पत्रावली पेश हुई। निगरानीकर्ता स्वयं एवं अधिवक्ता निगरानीकर्ता उपस्थित नही। निगरानीकर्ता स्वयं एवं अधिवक्ता निगरानीकर्ता को पृथक–पृथक समय पर रूक–रूक कर बार–बार आवाजे लगाई गई, लेकिन वह हाजिर नहीं हुए। ऐसी स्थिति में निगरानी अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकार्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैंसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें व बाद तकमील जिला अभिलेखागार में जमा कराई जावे।

आदेश सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति० जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर